न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 38 / 2020

राकेश पुत्र सोहनलाल जाति खटीक भुसावर, तहसील भुसावर जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार भुसावर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 02.06.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राकेश पुत्र सोहनलाल जाति खटीक भुसावर, तहसील भुसावर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2020 तहसीलदार भुसावर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार भुसावर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 239 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा तहसीलदार भुसावर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार भुसावर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार भुसावर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार भुसावर से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार भुसावर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसीलदार भुसावर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भुसावर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.07.02 17:05:45 IST
Reason: SelfAttested